

जिती व मुकदमों हेतुना
अ आवेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहित
सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 248/2025

सतीश गोदारा पुत्र श्री रोहिताश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री रोहिताश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रा देवी पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई रुबरू हमारे बहाजरी श्री शिवशंकर वकील वादी गिन जागिन मुदई श्री दीपक वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 गिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 एमएमके खाता संख्या 8/8 ज.स. 2071-74 व चक 4 आरटीपी खाता संख्या 169/124 ज.स. 2072-75 एवं चक 1 एमएमके खाता संख्या 82/71 ज.स. 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 को निम्नानुसार आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इनका खाता निम्नानुसार अलग कायम कर इसी अनुसार हिस्सा कम/ज्यादा/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. सतीश गोदारा के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 1 एमएमके खाता संख्या 8/8 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
174/194	15	10 ता 14/0.253 है.प्र. कुल 1.265 है. कृषि भूमि
चक 4 आरटीपी खाता संख्या 169/124 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075		
182/190	45	23/0.253 है.प्र. कुल 0.253 है.कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 मुकेश कुमार के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 1 एमएमके खाता संख्या 8/8 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
174/194	15	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गै.मु. खाला 7/0.253 है. कुल 1.265 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 इन्द्रादेवी के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 1 एमएमके खाता संख्या 8/8 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
174/194	15	8,9/0.253 है. प्र. कुल 0.253 है. प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शंरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

वसूल मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया